

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुड़ा भवन, पाँचवी मन्जिल, ए-बी विंग भोपाल-462004

क्रं. 1238 272/आ.उ.शि./छा.शा./2018

भोपाल, दिनांक 19-12-18

प्रति,

- 174
1. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश
  2. प्राचार्य समस्त शास./अनुदान प्राप्त अशास./गैर अनुदान प्राप्त निजी महावि.,  
मध्यप्रदेश

विषय :- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही किये जाने बाबत।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 914/272/आउशि/छा.शा./18 दि. 24.09.18

-0-0-

उपरोक्त विषय के संदर्भ में लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में विद्यार्थियों के हित में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। गांव की बेटों, प्रतिभा किरण, विक्रमादित्य आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में आवेदक पात्र छात्र-छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन करने तथा उनके ऑनलाईन भुगतान के लिये पहली बार तिथियों का निर्धारण किया गया है। अतएव समस्त प्राचार्य/कुलसचिव निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. आपको सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न माध्यमों से करना सुनिश्चित करें। महाविद्यालय अपने परिसर में सूचना पटल पर भी अनिवार्य रूप से सभी योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी चस्पा कराएँ जिससे छात्र/छात्राओं को स्थायी जानकारी हो सके। महाविद्यालय परिसर के दीवारों आदि पर स्थायी रूप से पेंट (बाल राइटिंग) से लिखना, फ्लेक्स लगाना तथा समाचार पत्रों में विज्ञापित आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया जाये।
2. योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन के साथ समस्त दस्तावेजों की एक हार्ड कापी संबंधित महाविद्यालय में छात्रवृत्ति प्रभारी के पास भी जमा करें। छात्र/छात्राओं के मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. कर अवगत कराएँ कि दिनांक 15 जनवरी 2019 तक इन योजनाओं के ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित है।
3. दिनांक 31 जनवरी 2019 तक इन योजनाओं के ऑनलाईन भुगतान की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है।

निरंतर—



//2//

4. निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् छात्रवृत्ति पोर्टल स्वतः बंद हो जायेगा। अतः यदि कोई विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाया हो तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी एवं ऑफ लाईन आवेदन विद्यार्थियों से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। महाविद्यालय स्तर से ऑफ लाईन आवेदनों के स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्यवाही नहीं करना सुनिश्चित करें।
5. जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य को आई.डी. पासवर्ड दिये जा रहे हैं, जो अपने जिले के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय की मॉनिटरिंग कर संबंधित अतिरिक्त संचालक को प्रति सप्ताह की गई समीक्षा की जानकारी उनके ई-मेल आई.डी. पर भेजें।
6. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक अपने क्षेत्राधिकार की समेकित जानकारी संलग्न निर्धारित प्रारूप में अद्यतन (Progressive) जानकारी प्रति सप्ताह सोमवार को छात्रवृत्ति शाखा के ई-मेल [heschlor@mp.gov.in](mailto:heschlor@mp.gov.in) पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी महाविद्यालय या अग्रणी प्राचार्य इस संबंध में सीधे जानकारी उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित नहीं करेंगे।
7. निर्धारित तिथि में विद्यार्थियों से आवेदन कराना तथा पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाईन भुगतान करना सुनिश्चित करें, यदि अवधि पर भुगतान न होने के कारण कोई विद्यार्थी सी.एम. हेल्पलाईन एवं समाधान ऑनलाईन में जाता है, तो इसके लिये संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म0प्र0 एवं जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य पर जिम्मेदारी सुनिश्चित की जावेगी।

(आयुक्त/सचिव उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. धीरेन्द्र शुक्ल)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19-12-18

पृ.क्र.भा.कु/1239/272/आ.उ.शि./2018  
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय, म.प्र.।
2. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा सतपुडा भवन भोपाल।
3. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र.।
4. समस्त, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.।
5. प्राचार्य, समस्त शास. अग्रणी महाविद्यालय, म.प्र.।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल

3/3

गांव की बेटी/प्रतिभा किरण : स्नातक की समस्त कक्षाएँ/ विक्रमादित्य योजना : द्वितीय वर्ष एवं पंचम सेमेस्टर के लिये जानकारी पत्रक

1	2	3	4	प्रथम वर्ष					द्वितीय वर्ष					पंचम सेमेस्टर					20
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
सं. क.	संबंधित संभाग/ जिला	महावि. का नाम	योजना का नाम	कुल प्राप्त आवेदन	कुल पात्र आवेदन	कुल अपात्र आवेदन की संख्या	अपात्रता का कारण	भुगतान किये गये आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदन	कुल पात्र आवेदन	कुल अपात्र आवेदन की संख्या	अपात्रता का कारण	भुगतान किये गये आवेदनों की संख्या	कुल प्राप्त आवेदन	कुल पात्र आवेदन	कुल अपात्र आवेदन की संख्या	अपात्रता का कारण	भुगतान किये गये आवेदनों की संख्या	रिनांक

हस्ता०

प्राचार्य/अग्रणी प्राचार्य/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक  
उच्च शिक्षा म०प्र०

नोट:-

- प्राचार्य समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय म०प्र० उक्त प्रपत्र में जानकारी संबंधित महाविद्यालय के अग्रणी महाविद्यालय को प्रत्येक शुक्रवार भेजा जाना सुनिश्चित करें ।
- प्राचार्य संबंधित अग्रणी महाविद्यालय म०प्र० उक्त जानकारी संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को प्रत्येक शनिवार को भेजा जाना सुनिश्चित करें । सीधे जानकारी आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. सतपुडा भवन को न भेजे ।
- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म०प्र० के द्वारा प्रत्येक सोमवार समेकित जानकारी छात्रवृत्ति के ई-मेल [heschlor@mp.gov.in](mailto:heschlor@mp.gov.in) पर भेजा जाना सुनिश्चित करें ।
- निर्धारित समय-सीमा में जानकारी प्राप्त न होने पर संबंधित प्राचार्य/अग्रणी महाविद्यालय/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म०प्र० पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।